अन 81/20 मोहनसिंह बनाम शासनराम

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	3-2-2021 वकील उभयपक्ष उप०। T. I. प्रा०पत्र पर बहस सुनी गई। भूमि ख०नं० 23 रकबा 0.52 हे० ग्राम फरासपुर की मूल वाद के निर्णय होने तक ~~उभयपक्षकारान~~ मौका एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु उभयपक्षकारान को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे। [signature] उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स०मा०)	[signature]

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.07 12:51:15 IST
Reason: SelfAttested

मोहनसिंह पुत्र रामधन, गुर्जर निवासी फरासपुर तह. गंगापुर सिटी —प्रार्थी

बनाम

1. रामकिशन पुत्र जयराम जाति गुर्जर निवासी देहरा (खेडली) तह. बामनवास
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी —अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट, सायल की ओर से
श्री नवलबिहारी गुप्ता, एडवोकेट, गैरसायल नं0 1 की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि खसरा नम्बर 23 रकवा 0.52 है0 ग्राम फरासपुर तहसील गंगापुर सिटी सायल व गैरसायल संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। जिसमें सायल का हिस्सा 3/14 व गैरसायल संख्या 1 का हिस्सा 11/14 है। पिछले कुछ दिनो से गैरसायल संख्या 1 के मन में बदनीयती पैदा हो गई तथा उसने भूमि शामलाती काश्त करने से इन्कार कर दिया तथा दिनांक 5.7.2020 को सायल ने कहा कि अगर शामलाती काश्त नहीं करना चाहते हो तो भूमि का विभाजन तहसील में चलकर करवा लेते है तो गैरसायल संख्या 1 ने धमकी देकर कहा कि मै विभाजन क्यो कराउं, विभाजन कराना है तुम कराओ मैं तो सम्पूर्ण भूमि को में ही काश्त करूंगा और ज्यादा करोगे तो भूमि को बिना विभाजन ही विक्रय कर दूंगा इसलिये सायल को यह प्रार्थना पत्र बावत अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह ताफैसला दावा भूमि खसरा नम्बर 23 रकवा 0.52 है0 वाके ग्राम फरासपुर तहसील गंगापुर सिटी में सायल को उसके कब्जे काश्त व भूमि के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न न तो स्वंय करे न अन्य से करावे एवं ताफैसला दावा भूमि को बिना विभाजन रहन वय न करे, रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया एवं प्रकरण मे दिनांक 13.7.2020 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई।

अप्रार्थी संख्या 1 ने जबाव प्रार्थना पत्र व कायमदार टी.आई. इस आशय का प्रस्तुत किया है कि मौके पर बहामी तौर [illegible] ने भूमि का विभाजन कर रखा है। सायल की भूमि [illegible] से दर्शित है तथा शेष भूमि गैरसायल नम्बर 1 की है। [illegible] 0.06 है0 मे गैर सायल संख्या 1 के भाई रामकेश पुत्र जयराम का 1/[illegible] हिस्सा है, ख0न0 20 रकबा 0.47 है0 मे गैर सायल संख्या 1 का 27/94 हिस्सा एवं गैर सायल संख्या 1 के भाई रामकेश पुत्र जयराम का 10/47 हिस्सा है। इस तरह से उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा है। गैर सायल संख्या 1 ने भूमि ख0न0 23 की भूमि मे से 41

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.07 12:51:15 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

रहा है। सायल झगडालू किस्म का व्यक्ति है। वह गैरसायल नम्बर 1 की उपरोक्त वर्णित भूमि जिसमे कि गैरसायल ने खंभे गाढकर तारबंदी कर रखी है के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग मे आयेदिन बाधा उत्पन्न करता है। दिनांक 13.10.2020 को सायल नजरी नक्शे मे लाल रंग की लाईनो से दर्शित उत्तरी पूर्वी तारो को काट दिया एवं गैरसायल की बाजरे की फसल को उजाड दिया। सायल येन केन प्रकारेण भूमि हडप कर भूमाफियाओ को भूमि विक्रय करने पर आमादा हो रहा है। गैरसायल ने जब सायल को तार काटने के बाबत उलाहना दिया तो सायल ने धमकी दी कि वह गैरसायल को भूमि पर काश्त नही करने देगा और गैर सायल को भूमि से बेदखल करेगा। दिनांक 14.10.2020 को गैरसायल संख्या 1 अपने हिस्से की भूमि पर जोत लगाने गया तो सायल झगडा करने पर आमादा हो गया। अतः जबाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर टी.आई. प्रस्तुत कर निवेदन है कि सायल का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे एवं गैरसायल की काउन्टर टी.आई. स्वीकार फरमायी जाकर आराजी ख0न0 23 रकबा 0.52 है0 ग्राम फरासपुर जो गैरसायल संख्या 1 का 11/14 हिस्सा है एवं ख0न0 20 व 21 मे 1/2–1/2 हिस्सा है। जिसे संलग्न नजरी नक्शे मे लाल रंग की लाईनो से दर्शाया गया है तथा जिसकी तारबंदी हो रही है के उपयोग उपभोग कब्जे काश्त मे सायल किसी प्रकार की बाधा पैदा नही करे और न ही किसी अन्य से करावे एवं उक्त भूमि से गैरसायल संख्या 1 को बेदखल नही करे तथा गैरसायल संख्या 1 ने जो तारबंदी कर रखी है उसको किसी प्रकार से नुकसान नही पहुचावें।

गैरसायल द्वारा प्रस्तुत काउन्टर टी.आई. का जबाब सायल ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि भूमि का कभी विभाजन नही हुआ है। भूमि को सायल संयुक्त रूप से लगातार काश्त करता चला आ रहा है परन्तु जब जवाबदार द्वारा भूमि काश्त करने से इन्कार किया तो सायल द्वारा उक्त दावा बावत विभाजन भूमि किया गया व दौराने दावा गैरसायल जवाबदार द्वारा न्यायालय श्रीमान के यहां से स्थगन होने के बावजूद जबरन मौके पर भूमि का विभाजन कर लिया तथा अच्छी भूमि पर तारबन्दी कर दी तथा उक्त तारबन्दी करने के बाद उक्त जवाब प्रार्थना पत्र मय काउण्टर टी.आई. पेश किया गया तथा उसके साथ गलत नजरी नक्श पेश किया गया है। सायल द्वारा न्यायालय द्वारा स्थगन के बाद जबरन की गई तारबन्दी के लिये थाने में रिपोर्ट की गई तथा श्रीमान के समक्ष एक प्रार्थना पत्र बावत अवहेलन न्यायालय आदेश पेश किया गया। जिसमें कार्यवाही विचाराधीन है। मौके पर कोई विभाजन नही हुआ है। मौके पर जो तारबन्दी व विभाजन जवाबदार द्वारा किया गया है तथा नजरी नक्शा पेश किया है वह गलत है। भूमि का विभाजन यदि किया जाता है तो सायल उक्त काउण्टर टी.आई. के साथ सायल नजरी नक्शा पेश कर रहा है जो जवाब काउण्टर क्लेम का जुज है के अनुसार भूमि का विभाजन कर दिया जावे तथा सायल के रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.07 12:51:15 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
ंगापुर सिटी (स०मा०)

... 11/14 हिस्सा अनुसार 41 ऐयर भूमि होना स्वीकार है। जवाबदार गिरोहबन्द व्यक्ति है तथा अनावश्यक रूप से अन्य लोगो को इस भूमि में हिस्सा देकर सायल के विरूद्व षडयन्त्र रच रहा है। विवादित भूमि में सायल व गैरसायल संख्या 1 के अलावा किसी का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। गैरसायल स्वंय भूमाफिया है तथा अन्य लोगो को अपने साथ लेकर न्यायालय के आदेशो की अवहेलना करके सायल की भूमि को हडपना चाहता है इसलिए दौराने दावा भूमि की तारबन्दी कर दी और उसके बाद उक्त जवाब प्रार्थना पत्र टी.आई व काउण्टर टी.आई. प्रस्तुत किये है जो निरस्त होने योग्य है। भूमि को गैरसायलान द्वारा कभी काश्त नहीं किया गया। भूमि को हमेशा सायल द्वारा ही संयुक्त रूप से काश्त किया जाता रहा है तथा उपज का विभाजन दोनो पक्षो द्वारा हिस्से व खर्चे काश्त के अनुसार समय समय पर किया जाता रहा है। जवाबदार काउण्टर क्लेमकर्ता का न्यायालय में कभी विश्वास नही रहा तथा न ही कभी न्यायालय के आदेशो की परवाह उसके द्वारा की गई बल्कि न्यायालय के आदेशो की अवहेलना करके दिनांक 12.10.2020 को तारबंदी करने के बाद दिनांक 13.10.2020 को उक्त काउण्टर क्लेम का वादकारण अंकित कर गलत काउण्टर क्लेम पेश किया है जवाबदार स्वंय उक्त मद में कह रहा है कि वह ग्राम देहरी में रहते है। जिससे सायल के कथन की पुष्टि होती है कि गैरसायल खुद सायल से भूमि शामलाती काश्त करवाते है तथा अब उनके मन में बदनीयति पैदा हो गई है इसलिये वह अच्छी भूमि को अपने कब्जे में लेना चाहते है। इसलिये न्यायालय के आदेश की परवाह न करके तारबन्दी दौराने वाद कर दी तथा उक्त स्थाई निषेधाज्ञा का काउण्टर क्लेम गलत रूप से पेश कर दिया। अतः जवाब काउण्टर टी.आई. पेश कर निवेदन है कि जवाब प्रार्थना पत्र काउण्टर टी.आई. गैरसायल मय खर्चा खारिज फरमायी जावे तथा सायल का प्रार्थना पत्र टी.आई स्वीकार फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में सायल ने नकल जमाबंदी संवत 2070–73 खाता संख्या 54 प्रस्तुत की है।

जबाब एवं काउन्टर टी.आई. के समर्थन मे गैरसायल नम्बर 1 की ओर से नकल जमाबंदी संवत 2070–73 खाता संख्या 74 व 73 प्रस्तुत किये है।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

सायल के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि ख.नं. 23 रकबा 0.52 है0 मे रिकार्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार सायल की ... भूमि है। शेष 41 एयर भूमि गैरसायल संख्या 1 की है। इस भूमि का अभी विभाजन नही हुआ है। सम्पूर्ण भूमि को सायल ही संयुक्त रूप से काश्त करता है। सायल ने अपने कब्जे की भूमि का नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है जिसमे सायल के हिस्से की भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है। सायल द्वारा प्रस्तुत टी.आई. प्रार्थना पत्र पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.07 12:51:15 IST
Reason: SelfAttested

...ला कलेक्टर
...सिटी (स०मि०)

... से तारबंदी करके अपना जबाब प्रस्तुत किया है और गलत नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। अपने जबाब में गैरसायल ने अन्य खातेदारो की भूमि को भी शामिल करते हुए जबाब प्रस्तुत किया है जबकि विवाद भूमि ख0न0 23 को लेकर है। सायल के कब्जे काश्त मे गैरसायल अनावश्यक रूप से बाधा उत्पन्न कर रहा है। इसलिए गैरसायल का काउन्टर क्लेम अस्वीकार कर सायल का टी.आई. प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

गैरसायल संख्या 1 के विद्धान वकील ने अपनी बहस में निवेदन किया है कि मौके पर भूमि ख0न0 20, 21, 22, 23 को मिलाकर गैरसायल ने अपने हिस्से की भूमि पर तारबंदी की हुई है। जिसे गैरसायल ने लाल रंग की बाउन्ड्री से प्रदर्शित किया है। यह तारबंदी पहले से ही की हुई है परन्तु सायल ने दिनांक 12.10.2020 उत्तरी पूर्वी ओर की तारबंदी को काट कर गैरसायल की फसल को उजाड दिया। दिनांक 14.10.2020 को गैरसायल जब जोत लगाने गया तो सायल ने गैरसायल को जोत नही लगाने दी और यह भी धमकी दी कि वह गैरसायल को भूमि काश्त नही करने देगा तथा भूमि से बेदखल करेगा। इसलिए गैरसायल की ओर से प्रस्तुत काउन्टर टी.आई. स्वीकार की जावे और सायल को टी.आई. आदेश से पाबंद किया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेख अवलोकन किया। सायल ने भूमि ख0न0 23 रकबा 0.52 है0 ग्राम फरासपुर के सम्बन्ध मे टी.आई. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। गैरसायल संख्या 1 ने इस भूमि के अतिरिक्त ख0न0 20, 21 के बाबत भी अपना काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया है। हमारा यह मानना है कि पक्षकारो के मध्य भूमि ख0न0 23 को लेकर विवाद है ऐसी स्थिति मे मूल वाद के निस्तारण तक हम इस भूमि के बाबत मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु दोनो ही पक्षो को मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद करना उचित समझते है।

आदेश

अत: उपरोक्त विवेचन के अनुसार सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार निर्णित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को मूल वाद के निर्णय तक जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि ख0न0 23 रकबा 0.52 है0 स्थित ग्राम फरासपुर की मौका एवं रिकार्ड की यथा स्थिति बनाए रखें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से [illegible] एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 3.2.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.07 12:51:15 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
गंगापुर सिटी (स.मा.)

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)